


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5860/2018/पन्ना/भू.रा.

जमुना प्रसाद विरुद्ध वृन्दावन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-10-2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक जमुना प्रसाद की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल वीरा नायब तहसीलदार वीरा के सीमांकन आदेश दिनांक 26-06-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी पर निर्णय लिया जाना है । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 	<p style="text-align: right;">  (आर.के. जैन) 22.10.18 सदस्य </p>

Handwritten mark